पूर्व मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय,
कार्मिक शाखा, धनबाद

पत्र क्रं. इडब्लू/ टूर/ अ.न./ 2024 दिनांक :19.04.2024

सर्व संबंधित
पूर्व मध्य रेल,
धनबाद

विषय :वर्ष 2024 के रेल कर्मचारी शिविर का आयोजन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आयोजित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत धनबाद मंडल के **80 रेल कर्मचारियों** के लिए शिविर का आयोजन पर्यटन स्थल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में **मई** माह में भ्रमण यात्रा का आयोजन प्रस्तावित है। अतः समस्त रेल कर्मचारी जो पर्यटन स्थल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण हेतु इच्छुक है संलग्न आवेदन फार्म भरकर इस कार्यालय में दिनांक **01.05.2024** तक अनिवार्य रूप से जमा करें। विलंब से प्राप्त आवेदनों पर किसी प्रकार का विचार नही किया जायेगा। धनबाद मंडल के गैर राजपत्रित सेवारत रेलवे कर्मचारी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद भ्रमण यात्रा में भाग लेने के पात्र होंगे।

1. कोई भी कर्मचारी पूरी सेवा अवधि में केवल एक बार SBF द्वारा आयोजित कैम्प के लिए के लिए जा सकते है।

2. जो कर्मचारी इस कैम्प से पहले सेवा निवृत्त होने वाले है उन्हे प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

3. भ्रमण हेतु पात्रता कर्मचारी के वरिष्ठता एवं उनके पे लेवल के आधार पर निर्धारित की जावेगी एवं कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रशासन से 04, यूनियन से 04, एसोसिएसन से 02 एवं चिकित्सा विभाग से 02 कर्मचारी अवश्य रूप से सम्मलित होंगे।

4- DAR/SPE/Vig. Cases से मुक्त होना चाहिए।

5. रेल कर्मचारियों को स्वयं का पास तथा अवकाश लेना होगा, एवं रेलवे डॉक्टर द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. जिन रेल कर्मचारियों का शिविर के लिये चयन किया जायेगा उन्हे कैम्प प्रस्थान के समय सुविधा पास. की छाया प्रति जमा करनी होगी। रेल कर्मचारियों से शिविर हेतु अंशदान लिया जाएगा। जिसमे तय कुल निर्धारित रकम की राशि का 70% SBF के मद से एवं 30% रकम की राशि इच्छुक कर्मचारी की स्वयं वहन करना होगा।

7. खान–पान का इंतजाम सभी शिविरार्थियों के लिए एक जैसा किया जायेगा। कर्मचारी जो पूर्व में रेल कर्मचारी शिविर में जा चुके है यदि वो कर्मचारी कैम्प के लिए जानकारी छिपाकर दोबारा जाने हेतु आवेदन करता है तो उस पर उचित कार्यवाही की जा सकती है।

8. शिविर के दौरान मद्यपान करने वाले शिविरार्थियों पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

9. किसी भी परिस्थिति में किसी भी रेलवे कर्मचारी को अपने पति या पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ दौरे पर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कर्मचारी दोनों पति पत्नी रेल में कार्यरत हैं एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जाने हेतू इच्छुक हैं तो उन्हें भ्रमण में जाने हेतू वरीयता दी जाएगी

10. शिविरार्थी अपने निजी सामान, विशेषकर बैगेज, मोबाइल आदि के लिए जिम्मेदार होंगे। शिविरार्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपना पहचान पत्र, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक सामान साथ लाएँ। सामान को बहुत सीमित और आसानी से ले जाने योग्य होना चाहिए।

11. शिविरार्थियों को अंतिम सूची जारी होने के बाद आवेदन रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि उस समय तक टिकट और अन्य औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस सूचना को अपने कार्यालय डिपो/स्टेशनो में व्यापक प्रचार–प्रसार करें। इच्छुक शिविरार्थी फोटो सहित दो प्रतियों में आवेदन को नियत तिथि तक कल्याण अनुभाग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय धनबाद में भिजवाने की व्यवस्था करें।

यह आवेदन धनबाद मंडल रेलवे की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है ।

संलग्न : आवेदन फार्म।

19.4.2023

वरीय मंडल.कार्मिक.अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, धनबाद

प्रति : –

- मु. कार्या. अधीक्षक(सा०)/धनबाद मंडल रेल प्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ ।
- *ADRM/Infra & ADRM/OP*/धनबाद को सादर सूचनार्थ ।
- सभी शाखा अधिकारी/पूर्व मध्य रेल/धनबाद
- मंडल सचिव ई.सी.आर.के.यू/एस.सी.–एस.टी/ओबीसी एसो. धनबाद को सूचनार्थ।
- एस.बी.एफ मेंबर ई.सी.आर.के.यू धनबाद मंडल को सूचनार्थ।
- सभी कार्मिक निरीक्षक कृपया अपने क्षेत्र व्यापक प्रचार प्रसार करे सभी डिपो मे परिपत्र को नोटिस बोर्ड पर चिपकाये ।

वरीय मंडल.कार्मिक.अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, धनबाद

आवेदन पत्र

विषय :धनबाद मंडल रेल कर्म. शिविर पर्यटन स्थल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण बाबत आवेदन पत्र

01.	रेल कर्मचारी का नाम	:	
02.	पदनाम	:	
03	विभाग	:	
04.	स्टेशन / मंडल जहॉ कार्यरत है :		
05	सेवा की अवधि	:	
06.	वेतनमान / वेतन दर	: .... जी.पी. / वेतन दर	
07.	वर्तमान आयु दि.01.05.2024:		
08.	जन्म तिथि	:	
09.	भर्ती तिथि	:	
10.	पी.एफ.नं.	:	बिल यूनिट :

फोटो चिपकाये

11. क्या आपने मुख्यालय या मंडल द्वारा इसके पूर्व में आयोजित शिविर में भाग लिया है। यदि हॉ तो इसके विवरण दें।

12. सेवा निवृत्ति की तिथि :

13. कार्यालय का पता एवं फोन नंबर:

14. रेल कर्मचारी का सामान्य शारीरिक स्थिति रेल चिकित्सालय द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करें।

15. रेल कर्मचारी का सम्पर्क हेतु फोन नं. / मोबाइल नं.

16. रेल कर्मचारी का पता :

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है। जानकारी गलत पाये जाने पर मेरे विरूद्ध उचित कार्यावाही की जा सकती है तथा शिविर के दौरान असुविधा / आकस्मिक दुर्घटना होने पर रेल प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा।

दिनांक :

रेल कर्मचारी के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
स्टेशन / डिपो

पूर्व मध्य रेल
पत्र क्रं.

कार्यालय
दिनांक :

व.मंडल कार्मिक अधिकारी पूर्व मध्य रेल धनबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अग्रेषित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर